मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/491/MGNREGS/NR-3/SE-1/2012 भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2012

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला –समस्त (म.प्र.)

विषयः महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम कोटवार को प्रदाय शासकीय सेवा भूमि के विकास हेतु उपयोजनाओं का लाभ दिये जाने बाबत्।

कोटवारों की सेवा भूमि पर सुधार के लिए तालाब एवं कुएं की व्यवस्था किए जाने हेतु कोटवार संघ की मांग पत्र प्राप्त हुआ है। मांग पत्र में किये गये उल्लेख अनुसार कोटवारों को प्रदाय भूमि शासकीय होती है, जो पद पर बने रहने तक कोटवार को दी जाती है। राज्य स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा की उपयोजनाओं का लाभ दिया जाकर शासकीय सेवा भूमि को विकसित किये जाने के दृष्टिगत मांग पत्र का परीक्षण किया गया।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची–1 की धारा 4(3) की कण्डिका 1 (iv) में लक्षित वर्ग के पात्र हिताधिकारियों की स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई प्रसुविधा दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसका आशय यह नहीं है कि शासकीय भूमि पर सिंचाई प्रसुविधा विकसित नहीं की जा सकती। अतएव ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवासरत कोटवार यदि हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु लक्षित वर्ग की श्रेणी यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार या भारत सरकार के इन्दिरा आवास का हितग्राही है तथा जाबकार्डधारी परिवार के रूप में ग्राम पंचायत में पंजीकृत है। तब उसे हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं जैसे कपिलधारा, भूमि शिल्प व नंदन फलोद्यान का लाभ दिया जाकर टिकाऊ अस्तियों का सृजन मनरेगा के प्रावधानों का पालन करते हुये किये जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

शासकीय सेवा भूमि में टिकाऊ अस्तियों का सृजन कर भूमि विकास, सिंचाई पर सुविधा व बागवानी सुविधा का लाभ निम्न शर्तों के अधीन दिया जा सकेगा :–

1. शासकीय सेवा भूमि असिंचित होने पर सिंचाई सुविधा का लाभ दिये जाने हेतु कूप निर्माण एवं भूमि विकास मद अंतर्गत मेढ़ बंधान के कार्य हेतु आवेदन ग्राम कोटवार द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। मनरेगा की उपयोजनाओं का लाभ दिये जाने के पूर्व ग्राम कोटवार द्वारा भूमि पर कोई ऋण भार नहीं है इसका परीक्षण व प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया जाकर प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा (प्रारूप संलग्न) जो कोटवार द्वारा आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न किया जावे।
2. ग्राम कोटवार को हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं का लाभ दिये जाने, शासकीय कार्य में बाधा न होने देने, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, दोहरा लाभ न लिये जाने, ऋणभार के संबंध में सही जानकारी दिये जाने के लिए हितग्राही के रूप में कोटवार से अनुबंध पत्र भी निष्पादित किया जा सकता है।
3. हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं का लाभ हेतु निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदन का परीक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाकर पात्रता होने पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य का अनुमोदन प्राप्त कर शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल कर वार्षिक कार्य योजना की सूची में रखा जावेगा।
4. कार्य की तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति शासकीय सेवा भूमि के विवरण के साथ ग्राम कोटवार दर्शाते हुये जारी की जावेगी। कोटवार का नाम अंकित नहीं किया जावेगा। कूआँ शासकीय रहेगा।

5. ग्राम पंचायत द्वारा कार्य का संपादन कर पूर्णतः प्रमाण–पत्र सोशल आडिट, एक्जिट प्रोटोकाल आदि से कार्यवाही की जावेगी। शासकीय सेवकों की भूमि में निर्मित सरंचनाओं का रख–रखाव व देखभाल का कार्य संबंधित कोटवार द्वारा उनकी सेवा अवधि में किया जा सकेगा।
6. शासकीय सेवा भूमि में निर्मित सरंचनाओं का उल्लेख पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेखों में किया जावेगा एवं इसकी लिखित सूचना वरिष्ठ कार्यालय को दी जावेगी।
7. कूप निर्माण उपरांत पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता होने पर ही नंदन फलोद्यान का लाभ आवश्यकता अनुसार मनेरगा के प्रावधानों का पालन करते हुये किया जा सकेगा।
8. ग्राम कोटवार अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में संलग्न रहने से वह जॉबकार्डधारी के रूप में सिर्फ उन्हीं दिवसों में कार्य कर सकता है, जब उसने विधिवत प्राधिकृत अधिकारी से अवकाश प्राप्त किया हो। ग्राम कोटवार के परिवार के अन्य जॉबकार्डधारी वयस्क सदस्य मस्टर रोल पर मनरेगा के प्रावधान अनुसार कार्य कर सकेंगे।
9. शासकीय सेवा भूमि हेतु कोई पोर्टेबल asset ग्राम कोटवार को नहीं दिया जावेगा। पोर्टेबल asset जैसे–अभिसरण के तहत डीजल/विद्युत पम्प आदि।
10. शासकीय सेवा भूमि हेतु उपयोगी उपकरण/सामग्री जो अन्य विभागों की योजनाओं के अभिसरण से अनुदान या अंशदान स्वरूप प्रदायित की जाती है, का स्वामित्व व्यक्तिगत न होकर पदेन ग्राम कोटवार का होगा साथ ही उक्त सामग्री का विक्रय व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में ग्राम कोटवार द्वारा नहीं किया जा सकेगा। ग्राम कोटवार पद से पृथक होने पर प्रदायित उपकरण/सामग्री नव नियुक्त ग्राम कोटवार को हस्तांतरित की जावे।

उक्त निर्देशों के साथ हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं के कियान्वयन हेतु समय–समय पर जारी विस्तृत दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये आगामी कार्यवाही की जावे।

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/492/ MGNREGS-MP/NR-3./SE-I/2012 भोपाल, दिनांकः 13/01/2012

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, समस्त संभाग (म.प्र.)
2. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल समस्त (म.प्र.)
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मनरेगा अंतर्गत ग्राम कोटवार को प्रदाय शासकीय सेवा भूमि के विकास हेतु उपयोजनाओं से लाभान्वित किये जाने संबंधी प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम .....ग्राम पंचायत..... जनपद पंचायत.....तहसील.....जिला..... में शासकीय सेवा भूमि जिसका खसरा क्रमांक .....रकबा.....हेक्टेयर है। यह भूमि..... (सिंचित/असिंचित) है। दिनांक.....से भूमि ग्राम कोटवार श्री.....आत्मज श्री..... ..... जाति.....जाति वर्ग.....निवासी.....को सौंपी गई है। शासकीय राजस्व अभिलेखों अनुसार इस भूमि हेतु ऋण पुस्तिका क्र..... जारी की गई है।

राजस्व अभिलेखों एवं ऋण पुस्तिका एवं ग्राम कोटवार श्री .....के कथन के आधार पर उक्त भूमि पर कोई ऋण भार नहीं है या राशि रू.....का ऋण था जिसे ग्राम कोटवार द्वारा भुगतान किया जाकर भुगतान की रसीद क्र..... दिनांक.....राशि रू.....प्रस्तुत की है।

उपरोक्तानुसार सत्यापित जानकारी के आधार पर ग्राम कोटवार को सौंपी गई शासकीय सेवा भूमि में मनरेगा अंतर्गत संचालित हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं का लाभ प्रदाय किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

स्थान.....

दिनांक.....

तहसीलदार

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

तहसील.....

जिला.....

ग्राम पंचायत (सरपंच/सचिव) एवं ग्राम कोटवार के मध्य निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध–पत्र का प्रारूप

पक्षकार क्रमांक – 1 सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत .....
जिला .....

पक्षकार क्रमांक – 2 ग्राम कोटवार

श्री .....
पुत्र श्री.....
तहसील..... .....
ग्राम .....

ग्राम कोटवार को प्रदाय शासकीय सेवा भूमि के विकास हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संचालित हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं से लाभान्वित करने के संबंध में दिनांक ..... को पक्षकार क्रमांक 1 एवं 2 के बीच में द्विपक्षीय MOU (समझौता अनुबंध) का निष्पादन निम्नानुसार किया गया :–

अनुबंधग्रहिता पक्षकार क्रमांक–2 को निम्नानुसार शर्तों का पालन करना होगा –

1. महात्मा गांधी नरेगा की सरंचनाओं का लाभ प्राप्त करने से पूर्व पक्षकार क्र. 2 को भूमि पर कोई ऋण भार नहीं है, इस आशय का निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न कर पक्षकार क्र. 1 को प्रस्तुत करना होगा।
2. शासकीय सेवा भूमि के विकास हेतु महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पात्रता अनुसार जो सरंचनाऐं निर्मित होगीं उनमें पक्षकार क्र. 2 का व्यक्तिगत नाम नहीं लिखा जावेगा, न हीं सरंचना को निजी स्वामित्व के रूप में प्रदर्शित किया जावेगा।
3. शासकीय भूमि में मनरेगा अंतर्गत पक्षकार क्र. 1 द्वारा निर्मित कराई जाने वाली सरंचनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उनका रख–रखाव व देखभाल का कार्य पक्षकार क्र. 2 द्वारा ग्राम कोटवार के के पद पर बने रहने तक किया जावेगा।
4. कृषि कार्य हेतु अभिसरण के अंतर्गत अन्य विभागीय योजनाओं से अनुदान पर प्राप्त पोर्टेबल उपकरणों को पक्षकार क्र. 2 की सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद विक्रय नहीं किया जावेगा। ऐसे उपकरणों को नवीन नियुक्त ग्राम कोटवार को हस्तांतरित किया जावेगा।
5. पक्षकार क्र. 2 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा की सरंचनाओं का लाभ प्राप्त करने की अवधि के दौरान अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न नहीं की जावेगी। साथ ही जिन दिवसों में सक्षम प्राधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराया जावेगा उन दिवसों में ही

मस्टर रोल में स्वंय कार्य किया जावेगा । शेष दिवसों में जाबकार्ड में अंकित वयस्कों सदस्यों द्वारा कार्य किया जाकर नियमानुसार पारिश्रमिक पक्षकार क्र. 1 से बैक/पोस्ट आफिस खाते के माध्यम से प्राप्त किया जावेगा।

6. पक्षकार क्र. 2 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सरंचनाओं का निर्माण पूर्ण होने के उपरांत 15 दिवस में हलका पटवारी से राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कराई जावेगी। इसकी सूचना पक्षकार क्र. 1 को दी जावेगी।

उपरोक्तानुसार अनुबंध पत्र पक्षकार क्र. 1 व 2 के मध्य निष्पादित किया गया, जिसकी सभी शर्तो का पालन किया जावेगा। किन्हीं भी शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का निर्णय दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।

हस्ताक्षर

अनुबंधग्रहिता
सरपंच/सचिव.....
ग्राम .....
जनपद पंचायत/जिला .....

हस्ताक्षर

अनुबंधकर्ता
हितग्राही.....
ग्राम.....
जनपद पंचायत/जिला .....